राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 139/2024 प्रा0पत्र

अनवान

1. हीरा सिंह पुत्र हेम सिंह उम्र 55 वर्ष।
2. गाजी सिंह पुत्र कान सिंह उम्र 45 वर्ष।
3. कवरी पुत्री उदय सिंह उम्र वयस्क।
4. नोजी पत्नि उदय सिंह उम्र वयस्क।
5. भंवर सिंह पुत्र उदय सिंह उम्र वयस्क।

समस्त जाति रावत निवासीयान भैरागुड़ा ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. मिठू सिंह पुत्र सार्दुल सिंह उम्र 40 वर्ष।
2. नारायण सिंह पुत्र गोविन्द सिंह उम्र वयस्क।
3. गोपाल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह उम्र वयस्क।
4. कमला देवी पत्नि गोविन्द सिंह. उम्र वयस्क।
5. सुमन देवी पत्नि नारायण सिंह उम्र वयस्क।
   समस्त जाति रावत निवासीयान भैरागुड़ा ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

01. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरदेव सिंह
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमंद)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय

दिनांकः– 30/10/25

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की ग्राम भैरागुड़ा पटवार हल्का बाघाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बग्गड़ तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार खाता संख्या नया 262 एवं पुराना 163 में आराजियात आई हुई है जिसके खाता संख्या 262 खसरा संख्या क्रमशः 67 व 71 रकबा क्रमशः 0.0728 है0 एवं 0.0809 है0

[signature]

कुल किता 02 कुल रकबा 0.1537 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नहीं होने की वजह से आए दिन घास काटते एवं फसल बोते वक्त और पेड़—पौधे की डालिया जानवरों के लिए काटते वक्त हर समय विवाद होता रहता है एवं बार—बार परिशान्ति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है। हम प्रार्थीगण उक्त भूमि की पाल—डोल लगाकर उन्नत एवं विकसित करना चाहते है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षीगण 01 ता 05 अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरों की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम भैरागुड़ा पटवार हल्का बाघाना की नकल, जमाबंदी वर्ष 2074—2077 में प्रार्थी सह खातेदार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भैरागुड़ा पटवार हल्का बाघाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बग्गड़ तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत 2074—2077 के अनुसार खाता संख्या नया 262 एवं पुराना 163 में आराजियात आई हुई है जिसके खाता संख्या 262 खसरा संख्या क्रमशः 67 व 71 रकबा क्रमशः 0.0728 है0 एवं 0.0809 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1537 है0 भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द